नेशनल उर्वरक कम्पनी के अंतर्गत रूग्ण औद्योगिक इकाइयों को भी पुनरुज्जीवित करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा मार्च, 1994 तक इन औद्योगिक इकाइयों को कुल कितना घाटा हुआ है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फेलेरियो): (क) से (ग) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि० (एच०एफ०सी०) को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी०आई०एफ०आर०) ने रुग्ण कम्पनी घोषित कर दिया है। अन्य बातों के साथ-साथ इस बात की जांच करने के लिए एक तकनीकी समिति का गठन किया गया कि क्या एच०एफ०सी० के दुर्गापुर, बरौनी और नामरुप-I+II एककों का समस्याग्रस्त उपस्करों आदि के नवीकरण/प्रतिस्थापन पर कुछ निवेश करके प्रचालन किया जा सकता है। 19.7.94 को सरकार के समक्ष प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में तकनिकी समिति ने उपरोक्त संयंत्र के प्रचालनों को जारी रखने के लिए आवश्यक उपचारी उपाय के साथ प्रतिस्थापन, मरम्मत और संशोधन के दुर्बल और समस्या परक क्षेत्रों की शिनाख्त की है। समिति ने उपर्युक्त संयंत्रों द्वारा प्राप्त किये जाने वाले स्टीम दिवसों और उत्पादन क्षमताओं का भी मूल्यांकन किया है। समिति ने इन संयंत्रों की निर्धारित क्षमताओं में कमी करने के साथ-साथ 263.18 करोड़ रू० के निवेश का अनुमान किया है। तथापि, समिति ने यह भी पाया है कि कम्पनी के पास अभी योजना और गैर-योजना भारी ऋण बकाया है और इन दायित्वों का उपरोक्त राशि के निवेश और क्षमता की डिरेटिंग के बाद संभावित भावी रोकड़ प्राप्तियों से पूरा नहीं किया जा सकता। सरकार ने एच०एफ०सी० के प्रबन्ध/तकनीकी समिति की रिपोर्ट से संबद्ध बोर्ड से टिप्पणी मांगी है।

(घ) से (ङ) नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० रूग्ण कंपनी नहीं है और हानि नहीं उठा रही है। फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया (एफसीआई) बी आई एफ आर द्वारा रूग्ण कम्पनी घोषित की गयी है। बी आई एफ आर ने भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम (आई सी आई सी आई) को प्रचालन अभिकरण नियुक्त किया है और 14.7.1994 को तकनीकी, आर्थिक और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के दृष्टिकोण से एफ सी आई के सभी एककों के पुनरुद्धार के लिए उपलब्ध सभी विकल्पों की स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करने का इसे निदेश दिया है। एफ सी आई के पुनर्वास के संबंध में कोई निर्णय भी आई एफ आर जो एक न्यायिक कल्प प्राधिकरण है के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के परिणाम पर निर्भर करेगा। 31.3.94 को एफ०सी०आई० की अन्तिम जमा हानि 2105.63 करोड़ रूपये थी।

Fertilizer Import

4083.- SHRI RAM DAS AGARWAL: Will the Minister of CHEMICALS & FERTILIZERS be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 328 given in the Rajya Sabha on 28th July, 1994 and state whether Government are aware that some Netherland companies have shown keen interest for import of gobbar, dung and wastes etc. for composed Khad (fertilizer): if so, the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS (SHRI EDUARDO FALEIRO): There is no proposal with the Government for import of animal dung and wastes for production of manure.

यूरिया की उत्पादन-लागत

4084. **मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के यूरिया संयंत्रों में एक टन यूरिया की क्रमशः औसत उत्पादन लागत कितनी-कितनी है;

(ख) क्या इस समय सरकारी क्षेत्र के यूरिया संयंत्रों की क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के यूरिया संयंत्रों को पृथक-पृथक कितनी-कितनी राज सहायता दी जा रही है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फेलेरियो): (क) यूरिया की उत्पादन लागत संयंत्र दर संयंत्र प्रयोग किये गये फीडस्टाक, संयंत्र के स्वास्थ्य और पुरानेपन, क्षमता उपयोगिता, ऊर्जा खपत, फीडस्टाक के स्रोत से दूरी आदि के आधार पर

भिन्न-भिन्न होती है। विभिन्न संयंत्रों में उत्पादित यूरिया का धारित औसत प्रतिधारण मूल्य (अर्थात सरकार द्वारा विशेष संयंत्र के लिए मूल्यांकन उत्पादन लागत जमा शुद्ध मूल्य पर उचित लाभ) इस समय 4888/-रूपये प्रति टन है।

(ख) और (ग) 1993-94 में सार्वजनिक क्षेत्र के अर्थक्षम एककों की क्षमता उपयोगिता 94.8% थी। दो सहकारी संगठनों (इफको और कृभको) में 108.2% की उल्लेखनीय औसत क्षमता उपयोगिता दर्ज की। सार्वजनिक क्षेत्र की रूग्ण कम्पनियों (हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन और फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया) के लिए तत्संबंधी आंकडे 27.3% थे। डिजाइन कमियों, उपस्कर असंतुलनों संयंत्रों के पुरानेपन, विद्युत की कमी और वित्तीय समस्याओं के कारण इन रूग्ण कम्पनियों के एकक लगातार कम क्षमता पर प्रचालन कर रहे है। इन कंपनियों को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने रूग्ण घोषित कर दिया है।

(घ) 1993-94 के दौरान सार्वजनिक (सहकारी समितियों सहित) और निजी क्षेत्र के यूरिया संयंत्रों को क्रमशः 1880.30 करोड़ रू० और 1531.30 करोड़ रू० तक आर्थिक सहायता का भुगतान किया गया।

Production/use of Urea

4085. SHRI JANARDHANA POOJARY: Will the Minister of CHEMICALS & FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Government have asked State Governments to discourage excessive use of urea as it causes damage to environment;

(b) what is the total production of urea in the country; and

(c) whether Government propose to reduce its production?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) By and large, there is no excessive use of urea in the country. However, the farmers are regularly advised to make judicious and balanced use of fertilizers based on soil testing.

(b) During 1993-94, 131.23 lakh tonnes of urea was produced in the country.

(c) No, Sir.

Cost study of Pyrantel Pamoate and other drugs

4086. SHRI H. HANUMANTHAPPA: Will the Minister of CHEMICALS & FERTILIZERS be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 3883 given in the Rajya Sabha on 21st April, 1994 and state:

(a) when was the cost study of Pyrantel Pamoate, Ethambutol, Ampicillin/Sodium, Cloxacillin and Rifampicin last conducted and upto what period were the recommended prices valid;

(b) whether it is a fact that these drugs are available at less than the notified prices as per chemical marketing reporter, if so, what are the notified prices and market prices of these drugs;

, (c) whether neither the prices of the formulations have been reduced nor the bulk drug prices have been reduced, if so, what action has been taken by the Ministry; and

(d) who is responsible for such a state of affairs and what action is proposed to be taken to remedy the situation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) The details asked for are given in the statement *(see* below) Normally, the prices notified on the basis of cost-cum-technical studies are valid for a period of 3 years. However, price revisions are allowed from time to time as an impact of changes in the prices of raw materials/input costs and other factors in accordance with the price adjustment formula contained in the study report so as to ensure availability of drugs in the market.